

क्रमांक-एफ 16-44 /2004/2/34

भोपाल, दिनांक 15.4.2004

प्रति,

प्रमुख अभियंता,  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग,  
म.प्र. भोपाल ।

विषय:- विभाग में ठेके पर कराये जाने वाले समस्त निर्माण कार्यों हेतु  
निविदाओं के आमंत्रण की प्रक्रिया में सुधार के लिये दिशा-निर्देश ।

विभाग द्वारा ठेके पर निर्माण कार्यों हेतु वर्तमान में सामान्यतः  
विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों से ही निविदायें आमंत्रित की जाती हैं जिसके कारण  
निविदाओं में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा नहीं हो पाती है । आमंत्रित निविदाओं में  
प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिये विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों के साथ-साथ अन्य निर्माण  
विभागों जैसे लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, केन्द्रीय लोक निर्माण  
विभाग, एम. ई. एस., रेल्वे तथा राज्य शासन एवं केन्द्र शासन के उपक्रमों में कार्य  
रूक लागत के अनुरूप विभिन्न श्रेणी में पंजीकृत एवं अनुभवी ठेकेदारों से भी निविदायें  
प्राप्त करने का प्रावधान किया जावे । अन्य विभागों में पंजीकृत ठेकेदारों के लिये  
यह शर्त रखी जा सकती है कि उनकी निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में निविदा  
अंतर्गत कार्य का अनुबंध करने के पूर्व उन्हें विभाग में भी उपयुक्त श्रेणी में एक  
निश्चित समयावधि में पंजीकरण कराना अनिवार्य रहेगा अथवा अनुबंध की पूर्ति  
हेतु उल्लेखित संपूर्ण सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि सामान्य स्वरूप में अनुबंध  
हस्ताक्षर करने के पूर्व विभाग में जमा करनी होगी ।

2. निविदा प्रक्रिया में होने वाले विलम्ब को दूर करने के लिये यह उचित  
होगा कि निविदा सूचना जारी करने के पश्चात् उसमें दर्शित निविदा प्राप्ति  
की तिथि में कोई वृद्धि न की जावे । केवल अपरिहार्य अथवा अप्रत्याशित  
परिस्थिति में यदि निविदा प्राप्ति की तिथि में वृद्धि करना आवश्यक हो तो  
उसके पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुये निविदा स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी से  
अनुमति प्राप्त कर, केवल एक बार वृद्धि की जा सकती है । निविदा प्राप्ति की  
तिथि में वृद्धि हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई अनुमति के औचित्य से प्रमुख-  
अभियंता को अवगत कराया जाना अनिवार्य होगा ।

3. निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिये निविदा आमंत्रितकर्ता अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कार्य के स्वरूप एवं लागत के अनुसार निविदा सूचना का प्रकाशन जिला, संभाग, राज्य तथा अखिल भारतीय स्तर के समाचार पत्रों में पर्याप्त स्वरूप एवं समय में हो। मध्यप्रदेश से प्रकाशित "रोजगार एवं निर्माण" अथवा "निविदा" समाचार पत्र में सभी कार्यों की निविदाओं का प्रकाशन अनिवार्यतः किया जावे। साथ ही, पूर्व में निर्देशानुसार, विभागीय वेब साइट [www.mppsc.org](http://www.mppsc.org) पर भी निविदा सूचना का प्रदर्शन सुनिश्चित किया जावे। वेब साइट पर यह प्रदर्शन निविदा की स्वीकृति तक जारी रखा जावे। निविदा खोलते समय यह पुष्टि कर ली जावे कि आमंत्रित निविदा का पर्याप्त प्रचार-प्रसार हुआ है।
4. निविदा जिस वर्णित स्वरूप एवं मात्रा में कार्य के लिये बुलाई जाती है, उसकी स्वीकृति उपरोक्त अनुबंध के तहत वर्णित कार्य ही कराया जा सकता है। इसमें अनुबंध के प्रावधान के विपरीत अन्य कार्य जोड़कर कार्य वृद्धि की जाना औचित्य पूर्ण नहीं है। यदि अनुबंधित कार्य के अतिरिक्त कार्य कराने की आवश्यकता हो, तो उसके लिये पुनः नई निविदा आमंत्रित की जाना चाहिए। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि आयटम दर निविदा अनुबंध फार्म-बी की कंडिका 13 में अनुबंधित कार्य की लागत पर आधारित वृद्धि का कोई प्रावधान नहीं है।
5. निविदा आमंत्रण सूचना में कार्य संपादन अवधि का निर्धारण आवश्यकता एवं व्यवहारिकता को विचार में लेते हुये सावधानी से किया जाना चाहिये। कार्य संपादन अवधि के दोषपूर्ण निर्धारण के कारण अनुबंध की अवधि में वृद्धि उचित नहीं मानी जा सकती है।
6. निविदा, प्राप्त तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति के अनुरूप ही बुलाई जावे। स्वीकृति से हटकर कार्य के स्वरूप अथवा मात्रा में परिवर्तन कर निविदा आमंत्रण दोषपूर्ण है। किसी विशिष्ट कारण से स्वीकृत कार्य को विखंडित कर समूहों में किया जाना वित्तीय अथवा परिस्थितिवश आवश्यक हो तो इस प्रकार विखंडन की स्वीकृति तक्षम अधिकारी से निविदा आमंत्रण के पूर्व प्राप्त कर ली जावे। स्वीकृतिदाता अधिकारी इस विखंडन का औचित्य का कारण विभागीय अभिलेखों में अंकित करें एवं कारणों से अपने वरिष्ठ अधिकारी को भी अवगत कराये।

W

7. प्रचलित अधिनियम एवं नियमों के आधीन अनुबंधित ठेकेदारों से श्रम कर/उप कर की स्रोत पर कटौति का उल्लेख निविदा सूचना में किया जा सकता है। इस संदर्भ में, मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम की धारा 35 §18 के अनुसार एक लाख से अधिक लागत के कार्य अनुबंध जिसमें सामग्री का विक्रय निहित हो, 2 प्रतिशत की दर से तथा भवन तथा अन्य सन्निर्माणा कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (The Building and Other Construction Workers' Welfare cess Act 1996) अनुसार 1 प्रतिशत की दर से स्रोत पर कटौति को अनिवार्यता का उल्लेख आवश्यक है।

ये दिशा-निर्देश विभाग के अंतर्गत समस्त सिविल एवं विद्युत-यांत्रिकी निर्माण कार्य हेतु प्रसारित किये जा रहे हैं। कृपया प्रत्येक स्तर पर इसका पालन सुनिश्चित करें।

उप सचिव  
मध्य प्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.

पृ०क्र० स्फ 16-44 /2004/2/34

भोपाल, दिनांक 15.4.2004

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, भोपाल/इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर परिक्षेत्र।
2. समस्त अधीक्षणा यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म.प्र.।
3. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, म.प्र.।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. विशेष सहायक, मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल  
की ओर माननीय मंत्री जी को अवगत कराने हेतु प्रेषित।

उप सचिव  
मध्य प्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.